(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं /2017 पुनरीक्षण I/निग/छतरपुर/भू-रा/2017/1562

1. मुस. रामबाई बेवा स्व. विटवा यादव
2. हीरामन पुत्र स्व. विटवा यादव
3. गोकल पुत्र स्व. विटवा यादव
4. बद्री पुत्र स्व. विटवा यादव

समस्त निवासीगण ग्राम बसाटा तह. व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अधि. द्वारा आज दि. 31/5/17 को प्रस्तुत
31/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. कन्दू पुत्र नन्हे भैया यादव
2. रामदास पुत्र नन्हे भैया यादव

दोनों निवासीगण ग्राम बसाटा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा रा.प्र.कं. 37/अपील/अ–6/16–17 में पुर्नविलोकन प्रतिवेदन दिनांक 27.3.2017 के मुताबिक न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्र.कं. 03/पुनर्विलोकन /16–17 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, ग्राम बसाटा तहसील छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 752, 753, 754, 755, 756, 758/1, 758/2, 759, 763, 764 कुल किता 10 कुल रकवा

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1562-एक/2017 जिला छतरपुर **रामबाई विरूद्ध कन्दू**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 03/पुर्नविलोकन/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31-12-18

(आर.के. जैन)
सदस्य